रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277654
CG-DL-E-04112026-277654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5761] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 5761] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

का.आ. 5993(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य में बलांगीर -भवानीपटना सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26) के 97/958 किमी मैं सोनगड़ नदी पर प्रमुख उँचा पुल और 87/790 किमी पर सिंगखमन मैं अप्रमुख पुल का ईपीसी मोड पर निर्माणके लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब -कलेक्टर, बलांगीर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में बलांगीर -भवानीपटना सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26) के 97/958 किमी मैं सोनगड़ नदी पर प्रमुख उँचा पुल और 87/790 किमी पर सिंगखमन मैं अप्रमुख पुल का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बलांगीर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बलांगीर					
गांव का नाम: सीनखमण					
1	263	निजी	एग्रीकल्चर	0.017 (एकर)	0.0068798
2	273	निजी	एग्रीकल्चर	0.061 (एकर)	0.0246864
3	273/367	निजी	एग्रीकल्चर	0.013 (एकर)	0.005261
4	274	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.039 (एकर)	0.4204775
5	279	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.164 (एकर)	0.0663699
6	280	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.311 (एकर)	0.12586
7	288	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.542 (एकर)	0.2193444
8	289	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.582 (एकर)	0.2355322
9	290	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
गांव का नाम: भानपुर					
10	434/690	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.221 (एकर)	0.0894375
11	435	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.675 (एकर)	0.2731688
12	606	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.165 (एकर)	0.0667746
13	607	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.608 (एकर)	0.2460542
14	607/663	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.025 (एकर)	0.0101174
15	608	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.185 (एकर)	0.0748685
गांव का नाम: सारसबाहाल					
16	462	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.848 (एकर)	0.3431809

17	475	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.36 (एकर)	0.14569
18	476	निजी	एग्रीकल्चर	0.131 (एकर)	0.053015
19	478	निजी	एग्रीकल्चर	0.296 (एकर)	0.1197896
20	478/912	निजी	रेज़िडेन्शल	0.004 (एकर)	0.0016188
21	478/936	निजी	रेज़िडेन्शल	0.005 (एकर)	0.0020235
22	479/913	निजी	रेज़िडेन्शल	0.012 (एकर)	0.0048563
23	480/738	निजी	रेज़िडेन्शल	0.005 (एकर)	0.0020235
24	480/738/970	निजी	रेज़िडेन्शल	0.005 (एकर)	0.0020235
25	480/812	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
26	480/813/831	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
27	480/814	निजी	रेज़िडेन्शल	0.005 (एकर)	0.0020235
28	480/918	निजी	रेज़िडेन्शल	0.008 (एकर)	0.0032376
गांव का नाम: कछारपाली					
29	1077	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.628 (एकर)	0.6588426
30	1388	निजी	एग्रीकल्चर	0.162 (एकर)	0.0655605
31	1389	निजी	एग्रीकल्चर	0.064 (एकर)	0.0259004
32	1394	निजी	रेज़िडेन्शल	0.007 (एकर)	0.0028329
33	1395	निजी	एग्रीकल्चर	0.052 (एकर)	0.0210441
34	1396	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.016 (एकर)	0.0064751
35	1397	निजी	एग्रीकल्चर	0.221 (एकर)	0.0894375
36	1401	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.022 (एकर)	0.0089033
37	1407	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.187 (एकर)	0.0756779
38	915	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.509 (एकर)	0.2059895
				Total	**3.7191425**

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

S.O. 5993(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of H.L. Major Bridge at River Songarh at Km 97/958 & Minor Bridge at Singkhaman Km 87/790 on Balangir - Bhawanipatna Road (NH-26) in the State of Odisha on EPC mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector, Balangir in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of H.L. Major Bridge at River Songarh at Km 97/958 & Minor Bridge at Singkhaman Km 87/790 on Balangir - Bhawanipatna Road (NH-26) in the State of Odisha on EPC mode

State: ODISHA			**District: BALANGIR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Balangir					
Village: Sinkhaman					
1	263	Private	Agriculture	0.017 (Acre)	0.0068798
2	273	Private	Agriculture	0.061 (Acre)	0.0246864
3	273/367	Private	Agriculture	0.013 (Acre)	0.005261
4	274	Government	Non Agriculture	1.039 (Acre)	0.4204775
5	279	Government	Non Agriculture	0.164 (Acre)	0.0663699
6	280	Government	Non Agriculture	0.311 (Acre)	0.12586
7	288	Government	Non Agriculture	0.542 (Acre)	0.2193444

8	289	Government	Non Agriculture	0.582 (Acre)	0.2355322
9	290	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
Village: Bhanpur					
10	434/690	Government	Non Agriculture	0.221 (Acre)	0.0894375
11	435	Government	Non Agriculture	0.675 (Acre)	0.2731688
12	606	Government	Non Agriculture	0.165 (Acre)	0.0667746
13	607	Government	Non Agriculture	0.608 (Acre)	0.2460542
14	607/663	Government	Non Agriculture	0.025 (Acre)	0.0101174
15	608	Government	Non Agriculture	0.185 (Acre)	0.0748685
Village: Sarasbahal					
16	462	Government	Non Agriculture	0.848 (Acre)	0.3431809
17	475	Government	Non Agriculture	0.36 (Acre)	0.14569
18	476	Private	Agriculture	0.131 (Acre)	0.053015
19	478	Private	Agriculture	0.296 (Acre)	0.1197896
20	478/912	Private	Residential	0.004 (Acre)	0.0016188
21	478/936	Private	Residential	0.005 (Acre)	0.0020235
22	479/913	Private	Residential	0.012 (Acre)	0.0048563
23	480/738	Private	Residential	0.005 (Acre)	0.0020235
24	480/738/970	Private	Residential	0.005 (Acre)	0.0020235
25	480/812	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
26	480/813/831	Private	Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
27	480/814	Private	Residential	0.005 (Acre)	0.0020235
28	480/918	Private	Residential	0.008 (Acre)	0.0032376
Village: Kachharpali					
29	1077	Government	Non Agriculture	1.628 (Acre)	0.6588426
30	1388	Private	Agriculture	0.162 (Acre)	0.0655605
31	1389	Private	Agriculture	0.064 (Acre)	0.0259004
32	1394	Private	Residential	0.007 (Acre)	0.0028329
33	1395	Private	Agriculture	0.052 (Acre)	0.0210441

34	1396	Private	Non Agriculture	0.016 (Acre)	0.0064751
35	1397	Private	Agriculture	0.221 (Acre)	0.0894375
36	1401	Private	Non Agriculture	0.022 (Acre)	0.0089033
37	1407	Government	Non Agriculture	0.187 (Acre)	0.0756779
38	915	Government	Non Agriculture	0.509 (Acre)	0.2059895
				Total	**3.7191425**

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.04 15:52:32 +05'30'